न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः– 20/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

किशना पिता रामा माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी पारोली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरूनाथ पिता रूगनाथ जोगी निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री लाला पिता बंशी हरिजन निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्री कैलाश पिता बंशी हरिजन निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्री छीतर पिता मांगु धाकड़ निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा ...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::– दिनांकः –11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 31.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पारोली पटवार हल्का पारोली तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 204 की आराजी संख्या 1925 रकबा 03 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें/संयुक्त खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणें को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें । विपक्षीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नही करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक पारोली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

–::आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके वाके ग्राम पारोली पटवार हल्का पारोली तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 204 की आराजी संख्या 1925 रकबा 03 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थी इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 400/–रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भूअ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भूअ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा